



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—१, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, ५ जुलाई, २०१२

आषाढ़ १४, १९३४ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—१

संख्या ५३८/७९-वि०-१-१२-१(क)३१-११

लखनऊ, ५ जुलाई, २०१२

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद २०० के अधीन राज्यपाल महोदय ने शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, २०११ पर दिनांक ६ मार्च, २०१२ को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३ सन् २०१२ के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, २०११

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३ सन् २०१२)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

गंगोह, तहसील-नकुड़, जिला-सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर एंजुकेशन सोसायटी द्वारा प्रायोजित एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने तथा उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

१—यह अधिनियम ‘शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, २०११’ कहा संक्षिप्त नाम जायेगा।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-1055 / सत्तर-1-2012-20(5) / 11
लखनऊ : दिनांक : १४ जुलाई, 2012

शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-3 सन् 2012) की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
- 2— प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय/विधायी/वित्त/कार्मिक/नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3— प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 4— प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, राजभवन, उत्तर प्रदेश।
- 5— सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 (भारत)।
- 6— सचिव, एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज, फिरोजशाह कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002
- 7— सदस्य सचिव, बार कौसिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू उर्दूघर मार्ग, नई दिल्ली-110002
- 8— रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 9— रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
- 10— निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 11— अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ-226001
- 12— मैनेजिंग ट्रस्टी, नेशनल इंस्टीट्यूट आफ कम्प्यूटर ऐजुकेशन सोसायटी ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी टावर, इंस्टीट्यूशनल एरिया, पाकेट-बी, मयूर विहार फेज-1, नई दिल्ली।
- 13— कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 14— समस्त अधिकारी/अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 15— विधायी अनुभाग-1/भाषा अनुभाग-5/न्याय अनुभाग-1

आज्ञा से,

M
(अनिता मिश्र)
विशेष सचिव।